ालय : – सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु0 जयपुर

फर्द अहकाम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक आमेर मु० जयपुर

72/25 मंगल च० बनाम भूरी

		विशेष विवरण
12/9/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19.9.25 को पेश हो।	
19/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी। ता 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 12 अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी-12 पूर्व में उपस्थित हुये थे जवाब पेश नहीं किया है जवाब बंद किया जाता है वास्ते बहस दिनांक 23/9/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर	
23/09/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप. बहस प्रार्थी सुनी गई। प्रस्तुत वकी. दस्तावेजों अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है अतः प्रा०पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 72/2025

मंगलचन्द पुत्र देवाराम, आयु–45 वर्ष, जाति जाट, निवासी बरिणी की ढाणी, तन– दत्तावता, तहसील–रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.. प्रार्थी

बनाम

1. अमरी देवी पत्नी लक्ष्मण
2. ग्यारसीलाल पुत्र रामचन्द्र
3. गोपाललाल पुत्र धन्नाराम
4 नाथू पुत्र हरबक्श
5 प्रेम देवी पत्नी मोहनलाल
   जातियान जाट, निवासीयान नासनो की ढाणी, तन दत्तावता, तहसील – रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
6 पोखरराम पुत्र देवाराम
7 बाबूलाल पुत्र देवाराम
8 भैरूराम पुत्र देवाराम
9 रामलाल पुत्र देवाराम
   जातियान जाट, निवासीयान रिणी की ढाणी, तन– दत्तावता, तहसील – रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा– जयरामपुरा, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
11 जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, शाखा जाहोता, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
12. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर), शाखा आमेर जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
13. कारपोरेशन बैंक, शाखा रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर, जरिये शाखा प्रबंधक
14. तहसीलदार, तहसील – रामपुरा डाबडी, जिला–जयपुर (राज.)
15. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, जिलाधीश परिसर, जयपुर, राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण / अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री राजेश कुमार सैनी – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

निर्णय दिनांक 23.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम दत्तावता, भू. अभि.नि. – खोराबीसल, पटवार हल्का चतरपुरा, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला– जयपुर में निम्नांकित भूमि स्थित हैः खाता संख्या नया 22 व पुराना 19 खसरा नंबर 146 रकबा 1.8600 हैक्टेयर भूमि स्थित है यही भूमि वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि है।

अप्रार्थी संख्या 3– गोपाललाल एवं अप्रार्थी संख्या 8 – भैरूराम का क्रमशः अविभाजित हिस्सा 1/18 व अविभाजित हिस्सा 1/15, अप्रार्थी संख्या– 10 के समक्ष रहन है। अप्रार्थी संख्या 6 – पोखरराम का अविभाजित हिस्सा 2/15 अप्रार्थी संख्या 11 के समक्ष रहन है। अप्रार्थी संख्या 9 का अविभाजित हिस्सा 2/ 15 अप्रार्थी संख्या 13 के समक्ष रहन है। प्रार्थी मंगलचन्द का अविभाजित हिस्सा 2/ 15 अप्रार्थी संख्या 12 के समक्ष रहन है। इसलिए राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बँक, जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर), कारपोरेशन बैंक हस्तगत वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, लिहाजा इन्हें क्रमशः अप्रार्थी संख्या 10 ता 13 के रूप में औपचारिक रूप से संयोजित किया गया है। वाद भूमि का आज दिवस तक बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 वाद सम्पत्ति पर मौखिक बटवारे के आधार पर वाद भूमि पर काबिजकाश्त है। प्रार्थी ने दिनांक 09.06.2025 को अप्रार्थी संख्या ता 9 से निवेदन किया कि पारस्परिक सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख में भी वाद भूमि का विभाजन करा लेते है, तो अप्रार्थी संख्या 1 इन्कार हो गई तथा धमकी दी कि वह बिना बटवारे कराये ही अपने अविभाजित हिस्से को गैर कृषि प्रयोजनार्थ विक्रय किये जाने के साथ–साथ अजनबी क्रेता को वाद भूमि के विशिष्ट भूभाग पर कब्जा करायेगी, जो मौके पर अकृषि कार्य भी करेगा। अप्रार्थी संख्या 1 की उपरोक्त धमकी का शेष अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 ने विरोध करने के बजाय मौन समर्थन दिया, इसलिए मूल वादपत्र के साथ उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व उचित न्याय शुल्क पर पेश है तथा श्रीमान् जी को इसे सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार विधि में प्राप्त है। प्रार्थी अधिकारी है कि वह ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या कदर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा सके कि ये सभी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वाद भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज अपनी सहखातेदारी का दुरुपयोग कर अपने नाम से दर्ज अविभाजित हिस्से को अन्य किसी भी व्यक्ति को ना तो अकृषि प्रयोजनार्थ विक्रीत करें एवं ना ही किसी को वाद भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर काबिज करावें। प्रार्थी अधिकारी है कि वह ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 14 व 15 को भी इस कदर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा सके कि ये भी वाद भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रथम दृष्टयावाद का बिन्दु सुविधा के संतुलन का बिन्दु व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 को इस कदर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि ये सभी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वाद भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज अपनी सहखातेदारी का दुरुपयोग कर अपने नाम से दर्ज अविभाजित हिस्से को अन्य किसी भी व्यक्ति को ना तो अकृषि प्रयोजनार्थ विक्रीत करें एवं ना ही किसी को वाद भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर काबिज करावें तथा अप्रार्थी संख्या 14 व 15 वाद भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 72/2025
बउनवानी – मंगलचंद बनाम अमरी देवी वगै0
निर्णय दिनांक :– 23.09.2025

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 12 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 19.09.2025 एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी की एकपपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2025 को पेश हुआ है, प्रार्थी ने ऐसे कोई तथ्य नहीं रखे जिससे यह साबित हो कि वर्तमान में प्रार्थी को गंभीर क्षति हो रही हो परन्तु यहा यह उल्लेखनिय है कि प्रार्थी ने इससे संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये की आराजी को खुर्द बुर्द किया जा रहा हो फलस्वरूप प्रार्थी ने प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति, एवं सुविधा का संतुलन साबित नहीं किया है, जैसा कि न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) PAGE 113 में प्रतिपादित किया है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर